तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/24	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया द्वारा अपने भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण को अपने मकान के भूतल पर बने दो कमरे व एक किचन को किराये पर दिया था जिस पर वर्तमान में अप्रार्थीगण निवास कर रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2022 तक तो प्रार्थीया को किराया अदा किया जाता रहा किन्तु जनवरी 2023 से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की सम्पत्ति हड़पने की नियत से किराया देना बंद कर दिया था। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के स्वामित्व वाले भूतल पर बने दो कमरे एवं ससोई से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को अपने स्वामित्व वाले परिसर से बेदखल करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम के तहत पेश किया गया है। वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम के तहत केवल मात्र पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री के अनुतोष चाहा जा सकता है। परन्तु प्रार्थीया द्वारा किरायेदारों को परिसर से बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम के तहत बनना नही पाया जाता है। जिस करण से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा	